न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 102 / 2023

राजस्थान सरकार जरिये नीरज जैन, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर।

........प्रार्थी

बनाम

श्री लक्की शर्मा पुत्र राजू शर्मा
आशा गंज, अजमेर पुलिस थाना रामगंज, अजमेर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्र्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितः श्री नीरज जैन, प्रर्वतन अधिकारी – पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 01.04.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 03.10.2023 को जिला रसद अधिकारी अजमेर के निर्देशों की पालना में जांच दल श्री नीरज जैन, प्रवर्तन अधिकारी, श्री योगेश कुमार मिश्रा प्रवर्तन निरीक्षक, श्री अंकुर अग्रवाल प्रवर्तन निरीक्षक, सुश्री उर्मिला सेहर प्रवर्तन निरीक्षक व श्री रेवतराम ए.एस.आई पुलिस थाना रामगंज मौके पर लकड़ियो की टाल, पहाड़गंज मुक्तिधाम के सामनें स्थित परिसर पर पहुंचे। मौके पर परिसर के मुख्य गेट पर ताले लगे पाये गए। चौकी प्रभारी श्री रेवतराम ने मौके पर श्री लक्की शर्मा पुत्र श्री राजू शर्मा निवासी आशा गंज अजमेर को बुलाया तथा परिसर के ताले खुलवाये। परिसर में पश्चिम दिशा में एक छोटा कमरा जिसकी छत लोहे की चद्दरों की बनी हैं, का ताला श्री लक्की शर्मा ने खोला, जिसकी मौके पर तलाशी लेने पर गैस रिफिलिंग पट्टा फिटेड जुगाड़, ग्यारह पिस्टननुमा लोहे के प्रेशर रेगुलेटर, जांच पीतल के नोब युक्त (लाल रंग) रेगुलेटर, बारह पीतल बॉडी रेगुलेटर बिना नोब के, तीन पीतल की रिफलिंग यंत्र (बांसुरी), पांच स्टील की बांसुरीनुमा यंत्र, दो सफेद रंग की प्लास्टिक की कैप 8 प्लास्टिक की सीलें भारत गैस मार्का, तीन यंत्र, 2 रिफलिंग की पुली, 8 लाल रंग की नॉब, एक केपेसिटर, दो हिसाब डायरिया, (जिसमें गैस संबंधी विवरण दर्ज पाया हैं) बरामद हुई यह समस्त सामग्री गैस रिफलिंग के अवैध कार्य में प्रयुक्त की जाती है। इस कारण मौके से प्राप्त जब्तशुदा समस्त सामग्री को राजहित में कब्जेराज लिया जाकर अग्रिम आदेशों तक यथास्थिति सुरक्षित रखने हेतु ख्वाजा गैस एजेन्सी, अजमेर के कार्मिक श्री दीप खींची पुत्र श्री बजरंगलाल खींची, निवासी खटीक मोहल्ला, सुभाषगंज नसीराबाद को सुपुर्दगी में दिया गया। पूर्व में भी इसी स्थल पर इस प्रकार की अवैध गैस रिफिलिंग कारोबार पर कार्यवाही की गई है। इस स्थान पर गैस रिफिलिंग के अवैध कारोबार की सूचना समाचार पत्र में भी प्रकाशित हुई हैं। मौके पर कमरे की तलाशी में एक लाल गत्ते

डॉ. भारती दीक्षित
जिला कलक्टर, अजमेर

वाली कॉपी (डायरीनुमा) तथा एक रजिस्टर जैसी कॉपी भी बरामद हुई। इनकी जांच करने पर इनमें गैस सिलेण्डर रिफिलिंग संबंधी उधारी, नगद, लेन–देन इत्यादि संबंधी संदिग्ध हिसाब किताब दर्ज पाया इसलिए यह लाल कॉपी तथा रजिस्टरनुमा कॉपी भी वजह सबूत तहवील ली गई। लाल गत्थे वाली कॉपी की जांच करने पर पाया कि इसमें सिलेण्डर लेन–देन की प्रविष्टियां अंकित हैं। गैस सिलेण्डर संबंधी इस कॉपी या शमशान स्थल में लकड़ी की टाल पर होने का अर्थ ही यही है, कि श्री लक्की शर्मा पुत्र राजू शर्मा अवैध गैस रिफिलिंग के कारोबार में लम्बे समय से पूरी तरह लिप्त हैं। उक्त का यह कृत्य एल. पी.जी. आदेश 2001 की धारा 3(1)(2)एवं (3) का स्पष्ट उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध हैं। अतः समस्त जब्तशुदा सामग्री को राजसात करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी नोटिस तामिल बावजूद गैर हाजिर होने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 03.10.2023 को जिला रसद अधिकारी अजमेर के निर्देशों की पालना में जांच दल श्री नीरज जैन, प्रवर्तन अधिकारी, श्री योगेश कुमार मिश्रा प्रवर्तन निरीक्षक, श्री अंकुर अग्रवाल प्रवर्तन निरीक्षक, सुश्री उर्मिला सेहर प्रवर्तन निरीक्षक व श्री रेवतराम ए.एस.आई पुलिस थाना रामगंज मौके पर लकड़ियो की टाल, पहाड़गंज मुक्तिधाम के सामने स्थित परिसर पर पहुंचे। मौके पर परिसर के मुख्य गेट पर ताले लगे पाये गए। चौकी प्रभारी श्री रेवतराम ने मौके पर श्री लक्की शर्मा पुत्र श्री राजू शर्मा निवासी आशा गंज अजमेर को बुलाया तथा परिसर के ताले खुलवाये। परिसर में पश्चिम दिशा में एक छोटा कमरा जिसकी छत लोहे की चद्दरों की बनी हैं, का ताला श्री लक्की शर्मा ने खोला, जिसकी मौके पर तलाशी लेने पर गैस रिफिलिंग पट्टा फिटेड जुगाड़, ग्यारह पिस्टननुमा लोहे के प्रेशर रेगुलेटर, जांच पीतल के नोब युक्त (लाल रंग) रेगुलेटर, बारह पीतल बॉडी रेगुलेटर बिना नोब के, तीन पीतल की रिफलिंग यंत्र (बांसुरी), पांच स्टील की बांसुरीनुमा यंत्र, दो सफेद रंग की प्लास्टिक की कैप 8 प्लास्टिक की सीलें भारत गैस मार्का, तीन यंत्र, 2 रिफलिंग की पुली, 8 लाल रंग की नॉब, एक केपेसिटर, दो हिसाब डायरिया, (जिसमें गैस संबंधी विवरण दर्ज पाया हैं) बरामद हुई यह समस्त सामग्री गैस रिफलिंग के अवैध कार्य में प्रयुक्त की जाती है। इस कारण मौके से प्राप्त जब्तशुदा समस्त सामग्री को राजहित में कब्जेराज लिया जाकर अग्रिम आदेशों तक यथास्थिति सुरक्षित रखने हेतु ख्वाजा गैस एजेन्सी, अजमेर के कार्मिक श्री दीप खींची पुत्र श्री बजरंगलाल खींची, निवासी खटीक मोहल्ला, सुभाषगंज नसीराबाद को सुपुर्दगी में दिया गया। पूर्व में भी इसी स्थल पर इस प्रकार की अवैध गैस रिफिलिंग कारोबार पर कार्यवाही की गई है, जिसका प्रकरण कलक्टर महोदय, अजमेर के न्यायालय में विचाराधीन हैं। इस स्थान पर गैस रिफिलिंग के अवैध कारोबार की सूचना समाचार पत्र में भी प्रकाशित हुई हैं। मौके पर कमरे की तलाशी में एक लाल गत्ते वाली कॉपी (डायरीनुमा) तथा एक रजिस्टर जैसी कॉपी भी बरामद हुई। इनकी जांच करने पर इनमें गैस सिलेण्डर रिफिलिंग संबंधी उधारी, नगद, लेन–देन इत्यादि संबंधी संदिग्ध हिसाब किताब दर्ज पाया इसलिए यह लाल कॉपी तथा रजिस्टरनुमा कॉपी भी वजह सबूत तहवील ली गई। लाल गत्थे वाली कॉपी की जांच करने पर पाया

डॉ. भारती दीक्षित
जिला कलक्टर, अजमेर

कि इसमें सिलेण्डर लेन–देन की प्रविष्टियां अंकित हैं। रजिस्टरनुमा कॉपी में पृष्ठ संख्या 01,04,05,07,08,38,39,40,41,43,45,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,61,62,63,64,66,70,71 पर किस गाड़ी में गैस भरी गई, गैस भराई के कितने रूपये बाकी है का विवरण दर्ज हैं। गैस सिलेण्डर संबंधी इस कॉपी या शमशान स्थल में लकड़ी की टाल पर होने का अर्थ ही यही है, कि श्री लक्की शर्मा पुत्र राजू शर्मा अवैध गैस रिफिलिंग के कारोबार में लम्बे समय से पूरी तरह लिप्त हैं। उक्त का यह कृत्य एल.पी.जी. आदेश 2001 की धारा 3(1)(2)एवं (3) का स्पष्ट उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध हैं। अतः समस्त जब्तशुदा सामग्री को राजसात करने के आदेश फरमावें।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। दिनांक 03.10.2023 को जिला रसद अधिकारी अजमेर के निर्देशों की पालना में जांच दल श्री नीरज जैन, प्रवर्तन अधिकारी, श्री योगेश कुमार मिश्रा प्रवर्तन निरीक्षक, श्री अंकुर अग्रवाल प्रवर्तन निरीक्षक, सुश्री उर्मिला सेहर प्रवर्तन निरीक्षक व श्री रेवतराम ए.एस. आई पुलिस थाना रामगंज मौके पर लकड़ियो की टाल, पहाड़गंज मुक्तिधाम के सामने स्थित परिसर पर पहुंचे। परिसर में पश्चिम दिशा में एक छोटा कमरा जिसकी छत लोहे की चद्दरों की बनी हैं, का ताला श्री लक्की शर्मा ने खोला, जिसकी मौके पर तलाशी लेने पर गैस रिफिलिंग पट्टा फिटेड जुगाड़, ग्यारह पिस्टननुमा लोहे के प्रेशर रेगुलेटर, जांच पीतल के नोब युक्त (लाल रंग) रेगुलेटर, बारह पीतल बॉडी रेगुलेटर बिना नोब के, तीन पीतल की रिफलिंग यंत्र (बांसुरी), पांच स्टील की बांसुरीनुमा यंत्र, दो सफेद रंग की प्लास्टिक की कैप 8 प्लास्टिक की सीलें भारत गैस मार्का, तीन यंत्र, 2 रिफलिंग की पुली, 8 लाल रंग की नॉब, एक केपेसिटर, दो हिसाब डायरिया, (जिसमें गैस संबंधी विवरण दर्ज पाया हैं) बरामद हुई यह समस्त सामग्री गैस रिफलिंग के अवैध कार्य में प्रयुक्त की जाती है। इस स्थान पर गैस रिफिलिंग के अवैध कारोबार की सूचना समाचार पत्र में भी प्रकाशित हुई हैं। अतः प्रथम दृष्टया प्रमाणित होता है कि इस स्थान पर गैस रिफिलिंग का अवैध कारोबार किया जाता हैं। मौके पर कमरे की तलाशी में एक लाल गत्ते वाली कॉपी (डायरीनुमा) तथा एक रजिस्टर जैसी कॉपी भी बरामद हुई। इनकी जांच करने पर इनमें गैस सिलेण्डर रिफिलिंग संबंधी उधारी, नगद, लेन–देन इत्यादि संबंधी संदिग्ध हिसाब किताब दर्ज पाया इसलिए यह लाल कॉपी तथा रजिस्टरनुमा कॉपी भी वजह सबूत तहवील ली गई। लाल गत्थे वाली कॉपी की जांच करने पर पाया कि इसमें सिलेण्डर लेन–देन की प्रविष्टियां अंकित हैं। रजिस्टरनुमा कॉपी में पृष्ठ संख्या 01,04,05,07,08,38,39,40,41,43 ,45,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,61,62,63,64,66,70,71 पर किस गाड़ी में गैस भरी गई, गैस भराई के कितने रूपये बाकी है का विवरण दर्ज हैं। जिससे अप्रार्थी का अवैध गैस रिफिलिंग के कारोबार में लिप्त होने की पुष्टि होती हैं। अप्रार्थी श्री लक्की शर्मा पुत्र राजू शर्मा का यह कृत्य एल.पी.जी. आदेश 2000 की धारा 3(1)(2)एवं (3) का स्पष्ट उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध हैं। अतः उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जब्तशुदा गैस रिफिलिंग पट्टा फिटेड जुगाड़, ग्यारह पिस्टननुमा लोहे के प्रेशर रेगुलेटर, जांच पीतल के नोब युक्त (लाल रंग) रेगुलेटर, बारह पीतल बॉडी रेगुलेटर बिना नोब के, तीन पीतल की रिफलिंग यंत्र (बांसुरी), पांच स्टील की बांसुरीनुमा यंत्र, दो सफेद रंग की प्लास्टिक की कैप 8 प्लास्टिक की सीलें

डॉ. ... दीक्षित
जिला ..., अजमेर

भारत गैस मार्का, तीन यंत्र, 2 रिफलिंग की पुली, 8 लाल रंग की नॉब, एक केपेसिटर, दो हिसाब डायरिया, को राजसात किया जाता है। अतः जिला रसद अधिकारी अजमेर उक्त सामग्री का नियमानुसार निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा करावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 01.04.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर, अजमेर